

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS सीमा शुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोच्चिन CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant

An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.gov.in E-mail: commr@cochincustoms.gov.in Control Room: 0484-2666422 Fax: 0484-2668468

Ph: 0484-2666861-64/774/776

F.No.C1/05/2017 TU.Cus.

तारीख Dated: 28.05.2018

स्थाई आदेश STANDING ORDER 05/2018

विषय: मूल्यांकन ग्रुप VII को समाप्त करना और उसके परिणामस्वरूप मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन

Sub: Discontinuation of Assessment Group VII and consequent changes in assessment practice

बोर्ड के पत्र 450/100/2017-Cus-IV दिनांक 10.04.2018 और आईसीईएस सलाह 18/2018 दिनांक 08.05.2018 के अनुसार, अलग-अलग योजनाओं/ लाइसेंस के लिए मूल्यांकन ग्रूप VII को दिनांक 08.05.2018 से समाप्त करने के फैसले की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Attention is drawn towards the decision to discontinue Assessment Group VII, for different Schemes/License, with effect from 08.05.2018, in line with the Board's Letter 450/100/2017 -Cus-IV dated 10.04.2018 and ICES Advisory 18/2018 dated 08.05.2018.

उसके अनुसार, एम आई ई एस, एस एफ आई एस आदि और डी ई ई सी, ई पी सी जी आदि जैसे लाइसेंसों के तहत विभिन्न स्क्रिप्स के अंतर्गत सभी आयात केवल समूहों में ही मूल्यांकन किया जाएगा। दिनांक 08.05.2018 को या उसके बाद फाइल किए गए सभी बिल, समूह I से VI को आवंटित किए जाएंगे, जैसा कि किसी भी अन्य बिल के मामले में किया जाता है, जो उच्चतम मूल्यांकन योग्य मूल्य वाले मदों के वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। बिल पहले आने वाले को पहले के आधार पर नियमित समूह बिलों जैसे नियम का पालन किया जाएगा।

Consequently, all imports under different scrips like MEIS, SFIS etc. and under licenses like DEEC, EPCG etc. will be assessed in groups only. All such Bills filed on or after 08.05.2018, shall be allotted to Groups I to VI, as is done in the case of any other Bill, depending on the classification of the item with the highest assessable value. The Bills shall follow the First in-First out rule like the regular Group Bills.

पहले के ग्रूप VII अनुभाग अब से **लाइसेंस अनुभाग** के रूप में जाना जाएगा। स्कीम/ लाइसेंस से 3. संबंधित बॉन्ड फाइलों की निगरानी और रखरखाव जैसे कार्य, स्क्रिप्स/ लाइसेंस का पंजीकरण, संबंधित

बॉन्ड/ बैंक गारंटी का पंजीकरण और योजना/ अगम बिल लाइसेंस के बिल के संबंध में निर्यात दायित्व निर्वहन की निगरानी (पूर्व के ग्रूप VII अनुभाग में किए गए कार्य) लाइसेंस अनुभाग में किया जाएगा।

The erstwhile Group VII Section will henceforth be known as the **License Section**. Functions like monitoring and maintenance of Scheme/License related Bond Files, Registration of Scrips/Licenses, registration of the related Bond/BG and the monitoring of Export Obligation discharge in respect of the Scheme/License Bills of Entry (previously performed at the erstwhile Group VII section) shall be carried out at the License Section.

4. अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना संख्या 19/2018 को पढ़ लें और नए मूल्यांकन प्रथाओं में एक आसान संक्रमण को सुनिश्चित कर लें।

The Officers are directed to go through the Public Notice No.19/2018 issued in this regard and ensure a seamless transition to the new assessment practices.

Sd/-

(सुमित कुमार SUMIT KUMAR) सीमाशुल्क आयुक्त COMMISSIONER OF CUSTOMS

प्रतिलिपि Copy to:

1. आयुक्त की फाइल/ अपर आयुक्त / सभी उप आयुक्त व सहायक आयुक्त, विकास आयुक्त (सीएसईज़ेड) सभी मूल्य निरूपक /सभी अनुभाग /गार्ड फाइल और डाक सूची के अनुसार। सभी संबन्धित अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे इसे नोट करें और निर्देशों /परिवर्तनों का अनुपालन करें।
Commissioner's file/Addl Commissioners/ All D.Cs & A.Cs/ Development Commissioner (CSEZ)/ All Appraisers/ All Sections / Guard File and as per mailing list. All concerned officers are directed to note and comply with the instructions/changes

//अनुप्रमाणित्/ ATTESTED//

//जी.अनिस्कुमार /G.AWLKUMAR//

मूल्यांकक (टैरिफ यूनिट) APPRAISER (TARIFF UNIT)